



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276264
CG-DL-E-16092026-276264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 727]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948

No. 727]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 795(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला ब्लॉक आबंटन नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला ब्लॉक आबंटन (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कोयला ब्लॉक आबंटन नियम, 2017 में, नियम 17 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"18. शास्ति.— जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह अधिनियम की धारा 25क और 25ख और उनके अधीन बनाए गए नियमों, अर्थात् खान और खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।"

[फा. सं. पीएस1/1/2026-पीएस1]

रूपिंदर बरार, अपर सचिव

टिप्पणः— मूल नियम को भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 877 (अ), तारीख 13 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 300 (अ), तारीख 18 मई, 2020, सा.का.नि. 394 (अ), तारीख 29 मई, 2023 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 508 (अ), तारीख 22 जून, 2026 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2026

G.S.R. 795(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coal Blocks Allocation Rules, 2017, namely:—

1.(1) These rules may be called the Coal Blocks Allocation (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Blocks Allocation Rules, 2017, after rule 17, the following rule shall be inserted, namely:—

“18. Penalty.— Whoever contravenes the provisions of these rules shall be liable to penalty as per the provisions of section 25A and 25B of the Act and the rules made thereunder, that is, the Mines and Minerals Adjudication of Penalties Rules, 2026 ”.

[F. No. PS1/1/2026-PS1]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.

Note. — The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 877(E), dated the 13th July, 2017 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 300(E), dated the 18th May, 2020, G.S.R. 394(E), dated the 29th May, 2023 and vide G.S.R. 508(E), dated the 22nd June, 2026



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276266
CG-DL-E-16092026-276266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 729]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948

No. 729]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 797(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोलियरी नियंत्रण (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 में, नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"13. शास्ति— जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह अधिनियम की धारा 25क और 25ख और उनके अधीन बनाए गए नियमों, अर्थात् खान और खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।"

[फा. सं. पीएस1/1/2026-पीएस1]

रूपिंदर बरार, अपर सचिव

टिप्पणः— मूल नियम को भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 540 (अ), तारीख 25 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 546 (अ), तारीख 9 अगस्त, 2021, सा.का.नि. 917 (अ), तारीख 23 दिसंबर, 2025 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710 (अ), तारीख 6 अगस्त, 2026 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2026

G.S.R. 797(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Colliery Control Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Colliery Control (Second Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Colliery Control Rules, 2004, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:—

“13. Penalty.— Whoever contravenes the provisions of these rules shall be liable to penalty as per the provisions of section 25A and 25B of the Act and the rules made thereunder, that is, the Mines and Minerals Adjudication of Penalties Rules, 2026 ”.

[F. No. PS1/1/2026-PS1]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 540(E), dated the 25th August, 2004 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 546(E), dated the 9th August, 2021, G.S.R. 917(E), dated the 23rd December, 2025 and G.S.R. 710(E), dated the 6th August, 2026



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276265
CG-DL-E-16092026-276265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 728]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948

No. 728]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 796(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में, नियम 76 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"76. शास्ति— जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह अधिनियम की धारा 25क और 25ख और उनके अधीन बनाए गए नियमों, अर्थात् खान और खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।"

[फा. सं. पीएस1/1/2026-पीएस1]

रूपिंदर बरार, अपर सचिव

टिप्पणः— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1398, तारीख 11 नवंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 150 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2026 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2026

G.S.R. 796(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Second Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Mineral Concession Rules, 1960, for rule 76, the following rule shall be substituted, namely:—

“76. Penalty.— Whoever contravenes the provisions of these rules shall be liable to penalty as per the provisions of section 25A and 25B of the Act and the rules made thereunder, that is, the Mines and Minerals Adjudication of Penalties Rules, 2026 ”.

[F. No. PS1/1/2026-PS1]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 1398, dated the 26th November, 1960 and lastly amended vide notification number G.S.R. 150(E), dated the 27th Feb, 2026.